कार्यालय, जिला निबंधक, खगड़िया

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सरकार के सचिव निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) बिहार पटना के पत्रांक 5275 दिनांक 16.12.2015 एवं शुद्धि–पत्र पत्रांक 5287 दिनांक 17.12.2015 के आलोक में खगड़िया जिला मे **शहरी एवं पेरिफेरल क्षेत्र** के एम0भी0आर का पुनरीक्षण जिला मूल्यांकन समिति, खगड़िया के द्वारा किया गया है। नयी पुनरीक्षित दर दिनांक **01.02.2016** से प्रभावी होगी। खगड़िया जिला में शहरी एवं पेरिफेरल क्षेत्र की नयी पुनरीक्षित दर **http://khagaria.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है एवं आम जनता के सूविधा हेतु समहरणालय, खगड़िया सभी संबंधित अंचल कार्यालयों एवं अवर निबंधन कार्यालय के सूचना बोर्ड पर भी प्रकाशित किया गया है। यदि संबंधित मौजों का पुनरीक्षित दर प्रचलित बाजार मूल्य से ज्यादा या कम प्रतीत होता है तो वे **25 जनवरी 2016** तक जिला अवर निबंधक, खगड़िया के कार्यालय में आवश्यक साक्ष्य के साथ लिखित आपत्ति दर्ज करा सकते है।

जिला मूल्यांकन समिति के द्वारा प्राप्त आपत्तियों के जॉचोपरान्त निराकरण की आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आपत्ति पर विचार नही किया जायेगा।

12.1.16

जिला अवर निबंधक –सह– सदस्य सचिव
जिला मूल्यांकन समिति, खगड़िया।

12/1

समाहर्त्ता –सह– अध्यक्ष
जिला मूल्यांकन समिति, खगड़िया।